

**न्यायालय**  
**उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन**  
**(कोर्ट कैम्प उप तहसील लूणवां दिनांक 27.02.2025)**

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र दर्ज दिनांक 27.02.2025

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- : : आदेश : : -

दिनांक : 28.02.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, ..... इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवां हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोट की अभिशंषा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम/पटवार हल्का	खाता संख्या	खसरा नं.	अशुद्ध नाम	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
41/2025	रमेशचन्द कुमावत पुत्र लालाराम	लूणवां / लूणवां	133	815 816	रमेशप्रसाद पुत्र लालाराम	रमेशचन्द कुमावत पुत्र लालाराम
42/2025	प्रेमचन्द पुत्र सुखाराम	लूणवां / लूणवां	133	815 816	प्रेमचन्द पुत्र सुखाराम	प्रेमचन्द पुत्र सुखाराम
43/2025	प्रभूदयाल पुत्र गिरधारी	गौरवपुरा/लूणवां	10	675	प्रभुराम पुत्र गिरधारी	प्रभूदयाल पुत्र गिरधारी
44/2025	शंकरलाल पुत्र गोगाराम	चौसला/चौसला	88	105, 106, 60, 63 से 67, 69, 775/124	शंकरलाल पुत्र गोमाराम	शंकरलाल पुत्र गोगाराम
45/2025	श्रवणलाल पुत्र गोगाराम				श्रवणलाल पुत्र गोमाराम	श्रवणलाल पुत्र गोगाराम

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक ..... आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 28/02/2025 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)  
उपखण्ड अधिकारी नावां  
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक : 28.02.2025

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/ 18

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोट/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां  
(डीडवाना-कुचामन)